

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

124

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार कुड़ा हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (जीवाजी)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ १६१०

दिनांक : २३/२/१४

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार Y.V.S. COLLEGE, GUNA को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-सी. (आ.पा., गणित, भौतिकी, कम्प्यूटर साइंस), बी.ए.- (आ.पा., अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान), (कम्प्यूटर एप्लीकेशन), बी.कॉम (कम्प्यूटर एप्लीकेशन), बी.पी.एड., पी.जी.डी.सी.ए., बी.लिव., बी.बी.ए., पाठ्यक्रम के लिये अस्याई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. 28(17) में बी.बी.ए., बी.सी.ए. हेतु जिन शिक्षकों की नियुक्ति 2008 में हुई थी वह दो वर्ष हेतु मान्य की इस समय सभी नियुक्ति विरस्त हो चुकी है अतः उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु शिक्षकों की नियुक्ति 28(17) में 90 दिवस में कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
2. बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड हेतु जो नियुक्तियाँ की गई हैं उनका अनुमोदन कार्यपरिषद् से कराये।
3. ग्रन्थालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 25,000/- की अलग-अलग पुस्तकें क्रय करें।
4. स्पोर्ट हेतु प्रतिवर्ष 1.5 लाख की खेल सामग्री क्रय करें।
5. अब्बन का Extention करें।
6. शिक्षकों को वेतन दैनंदिन के माध्यम से प्रदान करें।
7. महाविद्यालय परिनियम 27, 28 का पालन सुनिश्चित करें।

नोट :- एन.सी.टी.ई. के पत्र No. WRC/APWO6537/221517/NAAC/2013107528 दिनांक 05.09.2013 में वर्णित है कि -

All institutions having a Master of Education and Master of Physical Education courses shall have to get NAAC Accreditation with at least a letter Grade B on or before the 1st day of April, 2012, failing which Master of Education or Master of Physical Education Recognition granted to the institutions shall stand withdrawn with effect from the academic session 2012-2013

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. **प्राचार्य Y.V.S. COLLEGE, GUNA**
2. सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धत)